


तारीख
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

04/08/23

पत्रावली काज पेसा इच्छे वकील जादी
 उपस्थिता वकील जादी द्वारा विद्यार्थी
 के सम्पत्त डाक द्वारा भेजकर रिपोर्ट
 पेसा की विद्यार्थी अनुपस्थिता
 विद्यार्थी को कोर्टे सम्पत्त में हुक
 वार तीन-तीन काजके तिलाके गये
 वाक्य काजके तिलाके के विद्यार्थी
 अनुपस्थिता काज विद्यार्थी के
 जिले हु एक तरफ कार्यवाही की
 जाती है वकील जादी के
 पत्रावली पर एक हुकी काजके
 काज के विवाद जाकर हुके
 न्यायालय हुके गये काजके
 की नालकार्य तद्वीर जारी है।
 पालका जप्त होने पर शक्ति
 पत्रावली की को पत्रावली विधि
 हुके हेकर शक्ति जप्त है।


 न्यायाधीश, न्यायालय
 न्यायालय, न्यायालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठारीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

संख्या: 87 / 2023

प्रार्थीगण :-

1. माना पुत्र राऊ
जाति जाट निवासी कूडा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. केसा पुत्र हीरा
2. गोकलाराम पुत्र पीराराम
3. गोदाराम पुत्र पीराराम
4. पीराराम पुत्र हेमाराम
5. भगवाना पुत्र हीरा
6. भीखी पत्नी हीरा
7. हुकमाराम पुत्र पीराराम
8. सारोदेवी पत्नी लिखमाराम
9. कंवराराम पुत्र हेमाराम
10. पूनमा पुत्र लाला
11. भगवानाराम पुत्र हेमाराम
12. भंवरीदेवी पत्नी भगवानाराम
13. डूंगराराम पुत्र कोलाराम
14. रिडमलराम पुत्र कोलाराम
15. गोगा पुत्र आदू
16. जेठी पत्नी आदू
17. बाका पुत्र आदू
18. रामा पुत्र आदू
19. किसनाराम पुत्र हड्डुमानराम
20. खेतूदेवी पत्नी हड्डुमानराम
21. जीवाराम पुत्र हड्डुमानराम
22. देवाराम पुत्र हड्डुमानराम
23. बाबूलाल पुत्र हड्डुमानराम
जाति जाट निवासी कूडा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
24. मोडगर पुत्र गणेशगर जाति गोस्वामी निवासी कूडा तहसील गुडामालानी
25. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

--:: आदेश ::--

दिनांक :- 02.08.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नैखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।


हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बन्ध


उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा कूडा पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 38, 40/1 रकबा कमशः 2.2258, 2.1286 हैक्टेयर कुल रकबा 4.3544 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र कूडा पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 38, 40/1 रकबा कमशः 2.2258, 2.1286 हैक्टेयर कुल रकबा 4.3544 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.8.23..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी माई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

दिनांक : 21/8/23

वाद/2023/834

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

माना

केसा वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी


राजस्व आवेदन सं.....67 / 2023..

निर्णय दिनांक :- 02.08.2023

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम कूडा के खेत खसरा नम्बर 38, 40/1 रकबा कमशः 2.2258, 2.1286 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....गुडामालानी....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये1000/-....प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 2-8-23

क्रमांक: वाद/2023/835-36

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. हल्का पटवारी....रतनपुरा.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.....माना पुत्र राज
5. विप्रार्थीगण....केसा वगैरा....


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी